न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 04 / 2019 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2019 / 00019

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
अशोक कुमार पुत्र मांगीलालजी, जाति–मेघवाल, निवासी–सिराणा तहसील रोहट जिला–पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत चेण्डा पंचायत समिति रोहट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चेण्डा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) 2. मृत रूगनाथसिंह पुत्र रणजीतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सिराणा तहसील–रोहट जिला–पाली का कायममुकाम यशपालसिंह गोदपुत्र रूगनाथसिंह जाति–राजपूत, निवासी –सिराणा तहसील– रोहट जिला– पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना
अप्रार्थी की ओर से झुंझाराम जी परमार

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 8-11-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत डेण्डा तहसील रोहट की मिसल संख्या 11 / 1960–61 दायरा दिनांक 14.4.1961 प्रस्ताव संख्या शुन्य की पालना में जारी पट्टा संख्या 35 के विरूद्ध प्रस्तुत कर इसे निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत से मूल रेकर्ड मंगवाया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मृत रूगनाथसिंह को जारी किया गया पट्टा संख्या 35 प्रार्थी के हित प्रभावित होने से तथा दिनांक 5.1.2019 को उक्त पट्टे की जानकारी होने पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी के दादा के जीवनकाल से प्रार्थी का मकान बना हुआ है जिसमें वह मय परिवार के निवासरत है प्रार्थी का पट्टा जहां बना है उन्हीं पड़ोस के बीच प्रार्थी का मकान है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा नंबर 35 अवैध रूप से बना हुआ है। क्योंकि पट्टा भूमी के व वर्तमान स्थिति के हदूद मेल नहीं खाते है। पट्टे के पूर्व में 14 फिट का सेरिया दर्शाया हुआ है लेकिन वर्तमान में मौके पर नहीं है पश्चिम में लीला का पट्टा नंबर 6303 जारी किया हुआ है पूर्व में मांगीलाल पुत्र हसाराम का प्लॉट दर्शाया हुआ है जो पड़ौसी है पश्चिम की तरफ देवी पत्नी भीमा मेघवाल का पट्टा नंबर 6302 जारी सुदा है जिसके पूर्व दिशा में प्रार्थी का प्लॉट दर्शाया हुआ है। उक्त पट्टे की भूमी पर अप्रार्थी का कब्जा या उसके गोदी पुत्र का कब्जा नहीं रहा। इसलिए पट्टा निरस्त योग्य है। प्रार्थी का उक्त हदूदों के मध्य कब्जा है व प्रार्थी के पिता व दादा द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है कमरा–चौक होज आदि बने हुए है। विधुत कनेक्शन लिया हुआ है बिल माह जनवरी 2019 की प्रति भी पेश की है ग्राम पंचायत चेण्डा ने रूघनाथसिह को फायदा पहुंचाने के उद्धेश्य से विधीविरूद्ध तथा पंचायत राज नियमों को ताक में रखकर बिना प्रक्रिया अपनाये बिना कब्ज की भूमी का पट्टा जारी कर [illegible]वे। पंचायत नियम 147 के अनुसार पंचायत को कोई भी आबा[illegible]य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति लिखित में आवेदन क[illegible] पहचान उल्लेखित करेगा परन्तु जैर निगरानी पट्टा छपा [illegible] से मेल नहीं खा[illegible]व पट्टा जारी उक्त भूमी का कर दिया गया जो [illegible]बिल निरस्त के है। ग्रा[illegible]यत द्वारा नियम 146 के तहत रजिस्टर खोल उक्त पट्टा भूमी को रजिस्टर नहीं किया गया न पत्रावली खोली गई। स्थल निरीक्षण हेतु 3 वार्ड पंचों की समिति गठित करवाने

क्रमश.....................2

Ansh

जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:31:00 IST
Reason: SelfAttested

का आज्ञापक प्रावधान है जो नहीं किया गया है पत्रावली बैठक में नहीं रखी गई तथा पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है 3 पंचों द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। अन्य व्यक्तियों के सुविधा व अधिकारों को प्रभावित करता है फिर भी पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। भूमी विक्रय का निश्चय पंचायत द्वारा नियम 147 के तहत नही किया गया नियम 148 के तहत आपतियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशन नहीं किया गया है पंचायत द्वारा आक्षेप आमंत्रित करने का न तो नोटिस जारी किया गया न ही सही स्थान पर 2 मौतबिरानों के समक्ष चस्पा करवा कर रिपोर्ट ली गई है न ही इस प्रकार का अंकन है इस प्रकार पट्टा विधीवत जारी नही करने से निरस्त योग्य है। पट्टा सम्बन्धी मिसल कायम नहीं की गई गवाहों के बयान भी नहीं लिए गए है इसलिए भी पट्टा निरस्त योग्य है मकान के अनुसार निर्वाचन नामावली में भी मांगीलाल का नाम इसी मकान में दर्ज है। जो वार्ड नं. 6 से सम्बन्धित है। वकील अप्रार्थी द्वारा निगरानी आक्षेपों का जवाब नहीं दिया है। वकील प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि पंचायत कोरम में पट्टा संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया जबकि कोरम द्वारा प्रस्ताव लिया जाना आज्ञापक है पट्टे पर भी संकल्प संख्या एवं दिनांक रिक्त है मात्र सरपंच द्वारा मिसल में आज्ञाओं को लिखा जाकर पट्टा जारी करना पंचायत द्वारा पारित संकल्प नहीं कहा जा कसता है जब तक कि पंचायत कोरम में प्रस्ताव नहीं लिया हो इस स्थिति में भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है प्रार्थी का पुश्तैनी मकान होने से वह पिड़ित पक्षकार होने के कारण यह निगरानी पेश की गई तथा न्यायालय suo moto भी संज्ञान लेकर ऐसी कार्यवाही जो विधीसम्मत नहीं हो खारिज कर सकता है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने तर्कों की ताईंद में 1984 RRD Page 174, 2001(1) RRT Page-356, 1996(1) R.L.R. Page 27, 2003(1) R.R.T. Page 174, 2000(2) R.L.R. Page-39 न्यायिक दृष्टांत भी पेश किए।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा एक मिसल संख्या 11/1960–61 कायम कर समस्त आदेशिकाए दर्ज कर की गई जो विधी सम्मत है। प्रार्थी रूगनाथसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत निवासी सिराणा द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय पड़ोस के साथ पट्टा बनाने हेतु पेश किया जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर है। फीस लेने का आदेश दर्ज किया हुआ है जिसका सूचना पत्र आपतियां आमंत्रित करने बाबत तत्समय निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ मिसल के संलग्न है एवं उनको चस्पानगी किया उसकी रिपोर्ट मय मौतबिरानों के हस्ताक्षर के है। दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए हुए है। पंचायत द्वारा नक्शा बनवाया हुआ है जो मिसल के संलग्न है। तथा उक्त नक्शे के नाप एवं पड़ोस जारी पट्टे के पड़ोस व नाप से मेल खाते है। पट्टा सन 1960 में 17 रूपये राशि वसूल की जाकर जारी किया गया जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है 1960 में जारी पट्टे के 60 वर्षों से अधिक समय बाद प्रश्नगत किया गया है जो स्पष्ट रूप से म्याद में नहीं होने से भी निगरानी खारिज योग्य है अन्य ग्राम पंचायत द्वारा कारित तकनीकी त्रुटि का नुकसान अप्रार्थी को भुगतान करना पड़ता है तो यह विधिसम्मत नहीं है। जैर निगरानी भूमी आबादी भूमी होने से पंचायत के क्षेत्राधिकार में होने से पट्टा अप्रार्थी स्व. रूगनाथसिंह के पक्ष में जारी किया गया है जो विधिसम्मत है प्रार्थी का 60 वर्ष पुराना कब्जा होने से तत्कालीन प्रचलित नियमों के अनुसार तत्समय की कीमत का 1/6 भाग कीमत वसूली कर रूघनाथसिंह के नाम पट्टा संख्या 35 नियम 266 घ के तहत जारी किया गया है जो विधीसम्मत है। पट्टे के दर्शाये गए नाप अनुसार अप्रार्थी आज भी अपनी पट्टा आराजी पर काबिज है। अप्रार्थी का आधिपत्य है। अपने जीवन पर्यन्त रूगनाथसिंह के उपयोग उपभोग में भूखण्ड रहा तथा उसकी मृत्युपर्यन्त उनके गोदी पुत्र यशपालसिंह के पास बहैसियत मालिक है। ग्राम वासियों के जवाब के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र भी पेश किए जो पत्रावली है। पट्टा राजस्थान पंचायत राज नियम 1953 के तहत पट्टा जारी किया गया है जिसके चारो तरफ अप्रार्थी की तारबंदी की हुई है [illegible] आज भी अप्रार्थी कर रहा है। प्रार्थी द्वारा गलत पड़ौस बता कर निगरानी पेश की गई है। जो काबिल निरस्त के है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वोटरलिस्ट सन 2020 की है। पुराना दस्तावेज नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया उसकी अपील प्रार्थी के पिता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। जहां तक पड़ौस का सवाल है समय के साथ थोड़ा बदली हो सकते है

क्रमश.....................3

जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:31:00 IST
Reason: SelfAttested

इस पट्टे को जारी हुए तो 61 वर्ष हो चूके है इतने लम्बे समय बाद पड़ौस पूर्व में काबिज लोगों के स्थान पर उनकी संताने व अन्य व्यक्ति आने से बदल गए है जो पट्टा निरस्तीकारण का आधार नहीं हो सकते है। दस्तावेजी साक्ष्य कब्जे अथवा हक बाबत पेश नहीं किए गए है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो इसी लोकेशन के नहीं है जो मान्य किए जावे। अप्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत फोटो को सही बताते हुए भूमी को अभी खाली बताया है। अप्रार्थी के पिता द्वारा आवेदन पेश किया जाने पर पत्रावली कायम कर विधीवत रूप से कार्यवाही कर समस्त आदेशिकाएं दर्ज करते हुए किया गया जिसे निरस्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी द्वारा निगरानी में उल्लेखित समस्त तथ्य सरासर गलत व झूठे है। प्रार्थी पिड़ीत पक्षकार नहीं होने से भी निगरानी निरस्त योग्य है। न ही निगरानी में इस बाबत उल्लेख है तथा प्रार्थी को 1960 में बने पट्टे की जानकारी 5.1.2019 को किस प्रकार हुई इसका भी उल्लेख नहीं किया है। अप्रार्थी रूगनाथसिंह के जीवनकाल में उनके नाम का कब्जा व भूखण्ड पर आधिपत्य था जो आज उनके गोदी पुत्र यशपाल सिंह का होने से प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जाकर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2008 (2) डीएनजे(राज.) भी पेश किया जो म्याद के सम्बन्ध में है।

वकील अप्रार्थी को बहस का कहने पर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रकरण में प्रार्थी की ओर से गांव में अप्रार्थीगण को एलानिया धमकी भरे शब्दों में कहा गया कि कलक्टर साहब से कहकर फैसला मेरे पक्ष में करवा दूंगा तथा पट्टा खारिज करवा दूंगा। इसलिए अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय में सुनवाई नहीं करवाना चाहते है एवं प्रकरण को स्थानान्तरण करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण पत्रावली अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के आदेश प्रदान करावे। प्रार्थना पत्र पर गौर किया गया प्रार्थना पत्र में प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण हेतु निवेदन किया है लेकिन प्रार्थना पत्र में प्रकरण स्थानान्तरण का आधार विधिक व सबल नहीं है इसलिए वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रद्ध कर बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन भी किया गया इस निगरानी प्रार्थना पत्र के संबंध में विचारणीय बिन्दु 3 है :–

1. क्या निगरानी कर्ता पिड़ित पक्षकार है ?
2. क्या पट्टा निगरानीकर्ता की पुश्तैनी जमीन पर जारी किया गया है ?
3. क्या पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है ?

किसी व्यक्ति द्वारा निगरानी पेश करने में पिड़ित पक्षकार होना आवश्यक नहीं है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अनुसार " राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप–समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी"। इस प्रकरण में निगरानीकर्ता मांगीलाल का पुत्र है अतः प्रभावित पक्षकार भी है।

निगरानी कर्ता द्वारा दो पड़ोसियों के पट्टे सन् 2007 के पत्रावली में पेश किए है जिनके पूर्व में प्रार्थी का अ[illegible] दर्शाया है लेकिन यह प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर पट्टा [illegible] दिनांक [illegible] सन् 1960 खारिज किया जा सके न ही यह [illegible] जारी होने की कोई गलती सिद्ध करता है। तथा हक हकूक का निर्धारण करना सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। इस प्रकार निगरानी कर्ता पुश्तैनी [illegible]न होना सिद्ध करने में असफल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:31:00 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश......................4

जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय मिसल तो कायम की गई लेकिन जैर निगरानी पट्टे बाबत प्रस्ताव लिए हुए नहीं है। इस आशय का कोई प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर में नही है न ही पट्टे पर प्रस्ताव संख्या / दिनांक अंकित है। ग्राम पंचायत के कोरम में प्रस्ताव लिए जाने का प्रावधान है। जैर निगरानी पट्टा अकेले सरपंच द्वारा मिसल में पारित आदेशों की पालना में जारी किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। इस संबंध में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत 1984 आरआरडी पेज 174 इस पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत का अर्थ सरपंच उपसरपंच या पंच से नहीं होकर ग्राम पंचायत के पंचों वार्ड पंचों की मिटिंग जिसमें कोरम पुरा होने से है जो इस प्रकार है :– The Gram Panchayat does not mean a Sarpanch or Upsarpanch or any Panch thereof but a validity called meeting of the Gram Panchayat having quorum. To hold otherwise would mean that each and every Panch, Upsarpanch or Sarpanch of the Gram Panchayat can, at his own, without calling the meeting of the Gram Panchayat and without quorum, can attest any mutation any time anywhere and thereby transferred the land standing in the name of any person to the name of any other person.

इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा जारी करने बाबत संकल्प पंचायत कोरम में नहीं लिया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत की कार्यवाही में प्रक्रियात्मक त्रुटि पायी जाती है। इसलिए जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है जो ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मिसल संख्या 11 / 1960–61 दायरा दिनांक 14.04.1961 प्रस्ताव संख्या शुन्य दिनांक शुन्य की पालना में जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 35 अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:31:00 IST
Reason: SelfAttested